International Journal of Humanities and Social Science Research
www.socialsciencejournal.in
ISSN: 2455-2070
Received: 01-01-2022, Accepted: 16-01-2022, Published: 01-02-2022
Volume 8, Issue 1, 2022, Page No. 72-74

भारतीय प्रशासन पर लोकतांत्रिक संस्थागत नियत्रंणः–एक अध्ययन

अमित सिंह नेगी
शोद्यार्थी, राजनीति विज्ञान विभाग, राधे हरि स्नातकोत्तर महाविद्यालय, काशीपुर, उत्तराखण्ड, भारत

सारांश
परिपक्व लोकतंत्र में व्यापक लोकतांत्रिक मूल्यो की एक राजनीतिक, प्रशासनिक, सांस्कृतिक स्वीकार्यता होती है। इससे ना सिर्फ उस लोकतंत्र के विकास स्वरूप की पुष्टि होती है बल्कि लोगो के मध्य विकसित होने वाले लोकतांत्रिक मूल्यो की पहचान भी सरलता से हो पाती है। जहाँ तक भारतीय प्रशासन में लोकतांत्रिक मूल्यो का प्रश्न है। इसे समझने के लिए हमें प्रशासन की संरचना एवं इसके स्वरूप पर दृष्टि डालने की अवश्यकता है, भारतीय प्रशासन पर कार्यकारी विद्यायी और न्यायिक नियत्रंण मुख्य रूप से संस्थागत है और उनकी सीमाएं है। भारतीय संविधान छह मौलिक अधिकारों की गारंटी देता है और इस पर हमने केन्द्र और राज्यो में मानवधिकार आयोगो के साथ मानवाधिकारों की अवधारण को लागू किया है। भारत में प्राप्त संसदीय संस्थागतकरण औरर न्याायिक समीक्षा प्रथाओं में डाइसी के कानून सिंद्वान्त का नियम अंतर्निहित है। प्रस्तुत शोध पत्र में भारतीय प्रशासन पर संसदीय, न्यायिक एवं जन समुदाय के लोकप्रिय नियंत्रण का अध्ययन और विश्लेषण करने का प्रयास किया गया है।

मूल शब्दः लोकतंत्र, प्रशासन, संसदीय, जन समुदाय, कानूनी सिद्धांत, मानवाधिकार

प्रस्तावना
नौकरशाही या सिविल सेवा प्रशासन की रीढ़ है, विकास का एक वाहन है और किसी भी देश में सुचारू राजनीतिक परिवर्तन के लिए बफर सिस्टम है। वास्तव में, सिविल सेवाएं भारतीय प्रशासन की रीढ़ की हड्डी के रूप में काम करती हैं। दूसरे शब्दों में, ये सेवाएं शासन के चारों ओर केंद्रीय धुरी के रूप में कार्य करती हैं। प्रशासन के सभी प्रमुख कार्य उदाहरण स्वरूप, नीति निर्माण और कार्यान्वयन, कानून और व्यवस्था का रख रखाव और सार्वजनिक वस्तुओ ं और सेवाओ ंकी डिलीवरी, इन सेवाओ ं द्वारा की जाती है। भारतीय सिविल सेवाएं संघ स्तर पर अखिल भारतीय सेवाओ ं और केंद्रीय सिविल सेवाओ ं और प्रांत स्तर पर राज्य सिविल सेवाओ ंसे बनी हैं। निस्संदेह, स्वतंत्रता के बाद नागरिक सेवाओ ं ने सराहनीय कार्य किया है। वास्तव में, इन सेवाओ ने संविधान द्वारा निर्धारित व्यापक रूप रेखाओ ं और सिद्धांतों के भीतर हर सोच और विचार के माध्यम से राष्ट्र को आंदोलित किया है।
परिपक्व लोकतंत्र में व्यापक लोकतांत्रिक मूल्यों की एक राजनीतिक, प्रशासनिक, संस्कृतिक स्वीकार्यता होती है इससे ना सिर्फ उस लोकतंत्र के विकाश स्वरूप की पुष्टि होती है। बल्कि लोगों के मध्य विकसित होने वाले लोकतांत्रिक मूल्यों की पहचान भी सरलता से हो पाती है। परिपक्व लोकतंत्रों के भीतर राजनीतिक संस्थाओ में विश्वास और राजनीतिक प्रक्रियाओ से ंजुड़ाव स्पष्ट रूप दिखाई दे जाता है। संस्थात्मक रूप से लोकतंत्र की स्थापना के बाद भारत में लोकतांत्रिक मूल्यों की जड़े सर्वव्यापक रूप से गहरी होती दिखती है इसको भारत के लोकतांत्रिक आकार से समझा जा सकता है जहां ना सिर्फ निष्पक्ष चुनाव हो पा रहे है बल्कि नियमित रूप से उनका संचालन भी हो रहा है
जहां तक भारतीय प्रशासन में लोकतांत्रिक मूल्यों का प्रश्न है इसे समझने के लिए हमें प्रशासन की संरचना एवं इसके स्वरूप पर दृष्टि डालने की आवश्यकता है, भारतीय प्रशासन पर कार्यकारी, विधायी और न्यायिक नियंत्रण मुख्य रूप से संस्थागत हैं और उनकी सीमाएँ हैं। एक परिपक्व लोकतंत्र का उद्देश्य प्रशासकों को लोगों या जनता की राय के लिए सीधे उत्तरदायी बनाना है। इसका तात्पर्य लोकप्रिय पहल, लोकप्रिय आलोचना और औसत नागरिक के साथ–साथ प्रबुद्ध नागरिकों द्वारा लोकप्रिय भागीदारी से है। भारत में, इसे सक्रिय किया जा सकता है और सीमित तरीके सेहासिल किया जा सकता है। लोक प्रशासन में जनहित को जगाने के लिए यह प्रयोग सार्थक है। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में प्रशासन की लोकप्रिय जवाबदेही की इस धारणा को अक्सर लोक प्रशासन के कामकाज में नागरिक समाज की भागीदारी के रूप में माना जाता है। वास्तव में, यह प्रशासन को कुरीतियों और भ्रष्ट प्रथाओ ंसे मुक्त करने और लोकप्रिय सामुदायिक संस्थानों के माध्यम से सतर्कता बरतने का एक प्रयास है।

भारतीय प्रशासन में निरंतरता
स्वतंत्रता से पहले भारतीय प्रशासन में जो ढाँचा या व्यवस्था मौजूद थी, वह 1947 के बाद भी बना रही । ऐसा होते हुए भी स्वतंत्रता के बाद राजनीतिक पृष्ठभूमि और मनोवैज्ञानिक वातावरण तथा प्रशासनिक उद्देश्यों में पूर्णतः परिवर्तन आया । इस निरंतरता का सबसे अधिक महत्वपूर्ण कारण यह था कि भारतीय जनता को ब्रिटिश शासकों से स्वतंत्रता अचानक और शान्तिपूर्णढंग से मिली । दूसरा कारण यह था कि आज़ादी के दौरान हिंसात्मक दंगे और बहुत बड़ी संख्या में जनता विस्थापित हुई। स्वतंत्रता प्राप्ति पर भारत और पाकिस्तान दो देश बनें और लाखों शरणार्थी एक देश से दूसरे देश गए । यह अंशतः साम्प्रदायिक दंगों के कारण हुआ और अंशतः जनता का कुछ वर्ग अपनी पसन्द के देश में बसना चाहता था । प्रशासन के अधिकांश संवर्ग खाली हो गए क्योंकि मुस्लिम और यूरोपीय सिविल सेवा कार्मिकों ने त्यागपत्र दे दिया और

देश छोड़कर चले गए। इसलिए नए प्रशासन की स्थापना के लिए न तो साधन ही थे और न ही व्यक्ति। विभागों और सिविल सेवाओ ंके गठन के लिए स्थाई और सुगठित प्रशासनिक संगठन की उस समय की बहुत बड़ी आवश्यकता थी, इसलिए तत्कालीन प्रशासनिक ढाँचे को ही आज़ादी के बाद भी जारी रखा गया । फिर भी, स्वतंत्र भारत ने स्वतंत्रता के बाद तीन वर्षों के अंदर ही अपना संविधान अपनाया । इस संविधान के उद्देश्य और स्वरूप ब्रिटिश शासन के अधीन विद्यमान संवैधानिक उपबंधों से पूर्णतः भिन्न हैं। स्वतंत्र भारत का अपना लोकतंत्रात्मक संविधान है । इसके अनुसार, राष्ट्रीय संसद और राज्य विधान मंडल का स्वतंत्र आवधिक चुनाव होता है, ये कानून बनाते तथा यही वो संस्था है जिससे राष्ट्र में लोकतांत्रिक मूल्यों को ना सिर्फ संस्थात्मक और प्रतीकात्मक बनाए नहीं रखना है बल्कि लोकतांत्रिक जीवन शैली के रूप में इससे विकसित भी करना है।

भारत में प्रशासन पर जन समुदाय के प्रभावी लोकप्रिय नियंत्रण के लिए किए गए कुछ प्रयास इस प्रकार हैंः–

1. भ्रष्टाचार विरोधी विभागों जैसी प्रशासनिक एजेंसियों का प्रभावी उपयोग। समुदाय के समर्थन से सीबीआई, सीवीसी और फास्ट ट्रैक अदालतो का गठन किया गया है।
2. लोकायुक्त और लोकपाल की संस्थाओ ंके साथ प्रयोग (लोकप्रिय पहल और सहयोग के माध्यम से प्रशासन को सही करने के लिए बनाया जाना)।
3. खोजी पत्रकारिता और मीडिया के माध्यम से प्रशासन पर सदैव निगरानी रखने और प्रशासन की विफलताओ ंको सुधारने के लिए न्यायिक अदालतों को संरचना प्रदान किया गया है।
4. जनहित को बढ़ावा देने और जनहित याचिका और समितियों की भागीदारी प्रणाली के माध्यम से मौलिक मानवाधिकारों की रक्षा के लिए गैर सरकारी संगठनों की स्थापना की गयी।

इस प्रकार, लोकतंत्र की भावना के अनुरूप जवाबदेही प्रशासन के लिए एक ऐसे समाज में कानून के शासन और मानवाधिकारों की उपलब्धता की आवश्यकता होती है जहां प्रशासन को लोगों के साथ काम करना होगा, न कि श्रेष्ठता के अभिजात्य कार्य वाले लोगों के लिए। भारतीय संविधान छह मौलिक अधिकारों की गारंटी देता है और इस पर हमने केंद्र और राज्यों में मानवाधिकार आयोगों के साथ मानवाधिकारों की अवधारणा को लागू किया है। भारत में प्राप्त संसदीय संस्थागतकरण और न्यायिक समीक्षा प्रथाओ ंमें डाइसी के कानून सिद्धांत का नियम अंतर्निहित है।

एक संवैधानिक निकाय के रूप में संसद को प्राप्त अधिकार

अधिकार के दुरुपयोग या दुरुपयोग के बारेमेंजानना या ध्यान आकर्षित करना और नागरिकों की शिकायतों को हवा देना। यह आमतौर पर संसद के माध्यम से किया जाता हैः–

1. तारांकित या अतारांकित प्रश्न,
2. शून्य काल पर चर्चा,
3. स्थगन प्रस्ताव,
4. जनहित में प्रस्ताव या संकल्प,
5. लघुसूचना प्रस्ताव और उसके बाद तीस मिनट और दो घंटे की चर्चा,
6. वर्गीकरण या स्पष्टीकरण के लिए ध्यानाकर्षण सूचना।

ये सभी विधायी उपकरण लोकप्रिय प्रतिनिधियों को कार्यपालिका से पूछताछ करने और प्रशासनिक कार्यों के औचित्य पर सवाल उठाने में सक्षम बनाते हैं। विधायी जवाबदेही के ये उपकरण प्रशासकों को अपने पैर की उंगलियों पर रखते है ंऔर जिम्मेदार मंत्री अपने प्रभार के तहत प्रशासन की व्याख्या, बचाव और सुधार करते हैं। इसके अलावा संसदीय स्तर पर अनेक प्रकार की बहस और चर्चाएं भी आयोजित की जाती है जो इस प्रकार है।

1. राष्ट्रपति द्वारा अभिभाषण।
2. सरकार के खिलाफ निंदा प्रस्ताव,
3. संसद में प्रस्तुत विभिन्न प्रकार की प्रतिवेदन, और
4. सरकार का वार्षिक बजट।

एक लोकतांत्रिक प्रशासन को लोकप्रिय आकांक्षाओ ंके प्रति संवेदनशील बनाने की आवश्यकता है जो संसद की चिंताओ ं और सरकारी नीतियों की स्वीकृति या निंदा में परिलक्षित होती है। सदस्य राष्ट्रपति के अभिभाषण, वित्त मंत्री के बजट भाषण या सदन के पटल पर प्रस्तुत रिपोर्ट में उल्लिखित सामान्य या विशिष्ट मुद्दों को उठा सकते हैं। वास्तविक व्यवहार में कार्यपालिका की यह विधायी जवाबदेही संसद के सदस्य के रूप में अपने मंत्री के माध्यम से प्रशासन की विधायी जवाबदेही होती है।

भारत में प्रशासन पर न्यायिक नियंत्रण

भारत के संसदीय माडल में संविधान निर्माताओ ंद्वारा भारतीय संविधान में न्यायिक समीक्षा की व्यवस्था की गई है, ब्रिटिश संविधान के विपरीत, भारतीय न्यायपालिका को व्यापक क्षेत्राधिकार प्रदान किया गया है जिसे न्यायिक सक्रियता के रूप में देखा जा सकता है। कानूनी और परिष्कृत विवरणों के अलावा, भारतीय न्यायिक प्रणाली को संविधान निर्माताओ ं द्वारा निम्नलिखित भूमिकाएँ सौंपी गई हैंः–

1. इसे संविधान के मूल ढांचे को संरक्षित, व्यवस्थित एवं सुरक्षित करके संविधान के संरक्षक के रूप में कार्य करना चाहिए।

2. इसे नागरिकों के मौलिक अधिकारों के संरक्षक की भूमिका निभानी चाहिए और राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों के कार्यान्वयन के लिए अनुकूल परिस्थितियों का निर्माण करके व्यक्ति की गरिमा को बढ़ावा देना चाहिए।
3. इसे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय देना चाहिए और लोक प्रशासन की अपीलों की एक विवेकपूर्ण प्रणाली के माध्यम से मुकदमेबाजी की होड पर लगाम लगाने की व्यवस्था करनी चाहिएः–

1. जनहित याचिका (पीआईएल) को प्रोत्साहित करना।
2. स्वतः संज्ञान के माध्यम से अपनी न्यायिक प्रक्रियाओ ंको शिथिल करना।
3. विशेष रूप से सामाजिक न्याय और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में उदार व्याख्याओ ंके माध्यम से सार्वजनिक कानून के व्यापक निर्माण को प्रोतशाहन करना।
4. उदार प्रावधानों के माध्यम से प्रशासनिक मनमानी के खिआफ पीड़ितों को मुआवजा देनेके लिए बाध्य करना।
5. प्रशासनिक गोपनीयता के खिलाफ कानून के शासन में जन विश्वास को प्रेरित करने के लिए उदार लोकतांत्रिक व्याख्याओ ं के माध्यम से संवैधानिक कानून के क्षितिज का विस्तार करना।

यद्यपि न्यायिक नियंत्रण की अपनी सीमाएँ हैं, जो कि प्रशासनिक कानूनों की बारीकियों की जाँच करनेके लिए नकाफी है। भारतीय न्यायपालिका स्वयं की संरचना से उभरी चुनौतियों जैसे अपनी सुस्त एवं ख़र्चीली न्यायिक प्रक्रियाओ ं के खिलाफ संघर्ष किया है जो प्राकृतिक न्याय की अवधारणा के विपरीत हैं। सामाजिक कानून के माध्यम से नए मानवाधिकार और सामाजिक न्याय ने भारतीय कानून व्यवस्था की प्रशासनिक एवं कार्यपालिकीय निरंकु शता के खिलाफ अपने न्यायिक क्षेत्राधिकार के विस्तार को बढ़ाने का अवसर प्रदान किया है स जिसने नागरिकों के अधिकारों और स्वतंत्रता की रक्षा की है और नागरिकों की शिकायतों के निवारण में मदद की है। रिट और निषेधाज्ञा के विशिष्ट प्रावधानों के साथ संवैधानिक उपचार के अधिकार के तहत प्रदान किए गए न्यायिक उपचार ने अदालतों को अपने कार्यों के लिए प्रशासन को कार्य करने में सक्षम बनाया है यदि वे अधिकार क्षेत्र की कमी या कानून और तथ्य खोज की त्रुटियों से पीड़ित नहीं हैं। प्रशासन द्वारा अपनाई गई दोषपूर्ण प्रक्रियाओ ं और आधिकारिक विवेक के दुरुपयोग को कानूनी अदालतों में चुनौती दी जा सकती है।

निष्कर्ष

पहले की तुलना में आज़ादी के बाद भारतीय प्रशासन में आए परिवर्तनों, लोकतंत्र की स्थापना और विकास तथा कल्याणकारी राज्य बनाने संबंधी बाध्यता का होना प्रमुख है। कुछ विभागों के काम करने के तरीकों और नई लोक सेवाओ ंके बडे सहज तरीके से लागू हो जाने में स्थायित्व और निरंतरता दिखाई देती है। इन सेवाओ ंसे राजनीतिक निष्पक्षता, योग्यता के आधार पर चुनाव, संवैधानिक उद्देश्यों के प्रति निष्ठा और वचनबद्धता जैसी विशेषताएँ होती हैं। आज़ादी के बाद (आर्थिक) विकास और कल्याणकारी विभागों की संख्या में वृद्धि हुई है। वैज्ञानिक और तकनीकी जानकारी में वृद्धि और इसके नए–नए उपयोगों से प्रशासन प्रभावित हुआ है। लेकिन प्रशासन की संगठनात्मक विशेषताएँ, जैसे सोपानक्रम, लिखित आदेशों का महत्व, लालफीताशाही, बहुत पुराने कायदे–कानून आदि, अभी भी जारी हैं। इन सभी विशेषताओ एवं चुनौतियों के बावजूद भारत में प्रशासनिक व्यवस्था लोकतंत्र की जड़े जमाने में काफी हद तक सफल हुई जरूर है परन्तु चुनौतियों को भी नजर अंदाज़ नहीं किया जा सकता है। जैसा कि चर्चिल ने कहा, "लोकतंत्र सरकार का सबसे खराब रूप है, सिवाय उन सभी अन्य रूपों को छोड़कर जिन्हें समय–समय पर आजमाया गया है।" अनिवार्य रूप से लोकतंत्र में कई खामियां और समस्याएं हैं लेकिन अन्य सभी में समस्याएं अधिक हैं।

संदर्भ सूची

1. Maheshwari SR. Public Administration in India, The Higher Civil Service. New Delhi: OUP, 2005.
2. Govt. of India, 2010. Civil Services Survey–A Report. https;// darpg.gov.in/sites/default/files/Civil_Services_Survey_2010
3. Dwivedi PO, Jain DB, Dua DB. Imperial legacy, bureaucracy, and administrative changes: India 1947-1987. Public Administration and Development, 1989.
4. Appleby, Paul H, big democracy, new york, A. A. Knopf.
5. Dreze, Jean, and Amartya Sen, democratic practice and social inequality in India (2002), journal of Asian and African studies,1945:37(2): 6-37.
6. Kashyap, Subhash, Our Constitution: An Introduction to India's Constitution and Constitutional Law(1994),National Book Trust, India.
7. Basu DD. Introduction to the Constitution of India, lexis Nexis butterworth, Wadhwa, Nagpur, 2008.